10.5.18 वकील वादी ने प्रतिवादीगण से 4,5 व 7 का हलफनामा पेश किया जो प्रति ऐक पत्रावली दिनांक 17-5-18 को पेश है।

17/5/18

आज P.O. का कैम्प कोर्ट में व्यस्त होने से जनरल ता. दे गई गत आदेशों की सूचना में दिनांक 26/7/18 को पेश हो।

न्याय आयुक्त क्रमांक 201

15.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कालोता में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कैम्प कोर्ट में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। साबिक नकशा एवं हाल नकशा का मिलान किया गया। प्रतिवादी की बतौर पत्रावली स्वीकरा ग्राम तिमाली सं. 2017 के अनुसार प्रतिवादीगण का रकबा पवोदा 5.0 बीघा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण के खाते में उक्त साबिक भूमि के रूपे खसरा नम्बर 803 मै. 0.05 व खसरा नम्बर 804 रकबा 1.25 है. कायम किये जाकर कुल 1.30 है. भूमि मरदीमई जबकि साबिक रिकार्ड अनुसार हाल रकबा 1.13 है. भूमि दर्ज रिकार्ड होनी चाहिए थी। इस प्रकार प्रतिवादीगण के रकबे में 0.17 है. भूमि अधिक कायम मरदीमई। इस अधिक भूमि में से वादीगण ने खसरा नम्बर 803 रकबा 0.05 है. भूमि को प्रतिवादीगण के खाते में से कम कराकर अपने नाम करने की आधी घोषणा

Exam/18

अतिरिक्त कलक्टर

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्याय आपके द्वार 201

अज अदालत सहायक कलक्टर दौसा मुकाम कैम्प कोर्ट मालोता

बनाम रामानुजा वगैरा

किस्म मुकदमा दफा 88,136,188 नं. 136 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चाही गई है। साबित करने दावा मजमून मिसल होने से श्री प्रथम दृष्टया ही ख.न. 803 रकबा 0.05 है. भूमि वादीगण की होना पाया जाता है। वादी गण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ख.न. 803 रकबा 0.05 है. भूमि के खातेदार वादी गण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम निमाली तह. दौसा स्थित ख.न. 803 रकबा 0.05 है. भूमि को प्रतिवादीगण के खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते में अमल दरामद किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण कैम्प मुख्यालय नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल रेकर्ड हो। निर्णय सार्वजनिक लोक अदालत कैम्प कोर्ट मालोता के मजमे आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

Earl/ 18

सहायक कलक्टर
दौसा